लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1270

09 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा कामगारों को वित्तीय सहायता

1270: कुमारी अगाथा के. संगमा

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए कोई पहल की गई है, जहां पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड-19 के कारण 50,000 से अधिक बुनकर प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन हथकरघा कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी उपाय पर काम कर रही है;

(ग) क्या सरकार कुटीर उद्योग में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों पर जीएसटी में कोई छूट प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय 2021-22 से 2025-26 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश भर में हथकरघा को बढ़ावा देने और बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चे माल, सामान्य अवसंरचना विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हथकरघा कामगारों के सामने आ रही वर्तमान चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से उनके राज्य हथकरघा निगमों / सहकारी समितियों / एजेंसियों के लिए हथकरघा बुनकरों के पास तैयार समान की खरीद करने का अनुरोध किया गया है।

ii. बुनकरों को सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर ऑन बोर्ड करने संबंधी कदम उठाये गये हैं ताकि वे अपने उत्पाद सीधे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को बेचने में सक्षम हो सकें। अब तक लगभग 1.50 लाख बुनकरों को जेम (GeM) पोर्टल पर ऑनबॉर्ड किया जा चुका है।

iii. उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न राज्यों में 133 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

iv. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

अ) मार्जिन मनी सहायता

- ऋण राशि के 20% की दर से, अधिकतम 25,000/- रु. प्रति बुनकर की शर्त के साथ,
- ऋण राशि के 20% की दर से, अधिकतम 20.00 लाख रूपए (प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए 2.00 लाख रुपये) प्रति हथकरघा संगठन,

ब) 3 वर्षों की अवधि के लिए 7% तक ब्याज सहायता; और

स) ऋणों पर 3 वर्षों की अवधि के लिए क्रेडिट गारंटी

v. बुनकर सेवा केंद्रों दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और कांचीपुरम में डिजाइन रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं, ताकि हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का निर्माण और बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं और डिजाइनरों को नमूना/उत्पाद सुधार और विकास के लिए डिजाइन कोषों के लाभ की सुविधा मिल सके।

vi. हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद वर्चुअल मोड में अंतरराष्ट्रीय मेलों का आयोजन कर रहा है। 2021-22 के दौरान (दिसंबर, 2021 तक), एचईपीसी ने 5 अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग मेलों/इवेंट्स का आयोजन किया है। इसके अलावा, बुनकरों के लिए अपने उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री हेतु देश के विभिन्न हिस्सों में घरेलू मार्केटिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

vii. बुनकरों को विभिन्न हथकरघा योजनाओं के लाभों से अवगत कराने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास तथा कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में 534 चौपालों का आयोजन किया गया।

viii. हथकरघा उत्पादों की ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन मार्केटिंग हेतु 23 ई-कॉमर्स कंपनियां को लगाया गया है।

(ग) और (घ): जीएसटी को भारत सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर कई करों को युक्तिसंगत बनाने और कराधान प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया है। जीएसटी को जीएसटी परिषद में भारत सरकार के साथ राज्यों की समान भागीदारी रूप में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है। तदनुसार, यह संबंधित प्रभाव के साथ-साथ हथकरघा सहित वस्त्र क्षेत्रों पर भी लागू है।

******